न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **61/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री इमरान मो0 काजी,
निवासी–भोमियो की मस्जिद के पास,
तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा।

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 30-09-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 14.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भीलवाडा के जी0ए0 55 रसीद सख्या 013 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 04.08.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 21.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू.अधि./2020–21/361 दिनांक 23.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 02 तक में चाही गयी सूचना/जवाब बिन्दुवार, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भीलवाडा के पत्रांक/298 दिनांक 26.08.2020 से अपीलार्थी को जरिये डाक से भिजवायी गयी है। एवं नियमानुसार कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड को कार्यालय समय में अवलोकन करने एव प्रति चाहने पर नियमानुसार शुल्क प्राप्त होने पर देने के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को लिखते हुए सूचित कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा सूचना निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर नहीं दिया जाना असत्य है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय में आज दिनांक 23.09.2020 तक उपस्थित नहीं हुए है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 30-09-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा